मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 11, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या **1,2,3,4,5,6,7,8,9**) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री राजेश कुमार वर्मा एवं महेन्द्र केशरसिंह चौहान, सदस्यगण के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

3. शासकीय वक्तव्य

डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तीन नवीन न्याय संहिताओं---"भारतीय दण्ड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता (1898) 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 द्वारा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने के संबंध में वक्तव्य दिया. डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य ने मुख्यमंत्री महोदय , भारत सरकार और श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के स्थान पर श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 पटल पर रखी.

(3) श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 पटल पर रखी.

(4) श्री नागर सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(5) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 692/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 14 मार्च, 2024,
(ख) क्रमांक 691/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 14 मार्च, 2024,
(ग) क्रमांक मप्रविनिआ/2023/180, दिनांक 17 जनवरी, 2024,
(घ) क्रमांक एमपीईआरसी/2024/480, दिनांक 20 फरवरी, 2024,
(ङ) क्रमांक 233/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 22 जनवरी, 2024,
(च) क्रमांक 1236/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(छ) क्रमांक 1239/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(ज) क्रमांक 1238/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(झ) क्रमांक मप्रविनिआ/2024/220, दिनांक 19 जनवरी, 2024, एवं
(ञ) क्रमांक 616/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 05 मार्च, 2024 पटल पर रखी.

(6) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

(7) (*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)* श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला झाबुआ, उमरिया एवं रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

5. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) सुश्री रामश्री राजपूत (रामसिया भारती), सदस्य की छतरपुर जिले में शिक्षकों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने,

(2) श्री विपिन जैन, सदस्य की घोड़ा रोज व जंगली सूअरों के आतंक से किसानों की फसलों को नुकसान होना,

(3) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की उमरबन क्षेत्र के अतंर्गत विकास कार्यो की स्वीकृति राशि जारी न की जाना,

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की कर्रापुर क्षेत्र जिला सागर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,

(5) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से बेघर हुए पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता दिये जाने,

(6) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की सहायक उप निरीक्षक के रोके गये वेतन का भुगतान कराये जाने,

(7) श्री दिनेश राय, सदस्य की मध्यप्रदेश में औषधियों के मूल्यों में प्रभावी नियंत्रण न हो पाने,

(8) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य की ग्राम हिनौती ग्राम पंचायत कूड़ा धनिया स्थित पशु औषद्यालय में हितग्राहियों को समय पर शासकीय सुविधाओं का लाभ न मिल पाने,

(9) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की बालाघाट जिले में सेवा सहकारी समिति संस्था में डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति न होने तथा

(10) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य की बुरहानपुर में लालबाग चिन्चाला ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण न होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. बहिर्गमन एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना.

डॉ सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा कल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा हिन्दू समाज के बारे में की गई टिप्पणी का जिक्र किया. इस से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया. तदनन्तर कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.23 से 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12:42 बजे समेवत हुई.

डॉ सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा कल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जी द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करने के बाद व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.23 से 15 मिनट के लिए स्थगित की गई.

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	प्रस्तावित समय
1.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024	1 घण्टा

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. ध्यानाकर्षण.

(1) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य द्वारा इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया, श्री दिनेश जैन 'बोस' सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था.

आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण क्रमांक-2 संबंधी घोषणा एवं व्यवस्था.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – "माननीय सदस्यों के अनुरोध एवं कल दोनों पक्षों की बात सदन में सुनने के बाद मेरे द्वारा सदन में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में यह दूसरा ध्यानाकर्षण लिया गया है. विधान सभा प्रक्रिया नियम 138(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन के मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किंतु प्रस्तुतकर्ता सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से एक-एक प्रश्न पूछ सकेंगे इसकी सूचना देने वाले सदस्यों की संख्या काफी अधिक है तथा प्रकरण न्यायालय प्रक्रिया के अधीन है. अत: माननीय सदस्य इसको दृष्टिगत रखते हुए सटीक प्रश्न पूछकर समय-सीमा में ध्यान आकर्षण पर कार्यवाही पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे".

उक्त ध्यानाकर्षण के संबंध में कल हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 134 एवं परन्तुक का उद्धरण प्रस्तुत किया कि- "साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो:"

"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे सांविधिक न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है."

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी यह विचार व्यक्त किया गया कि- ''सभी अधिकार अध्यक्ष में निहित हैं. यह नियम जो बनाए हैं वह भी माननीय अध्यक्ष ने ही बनाए हैं, इसलिए मेरा दायित्व है कि जो नियम बने हैं उसके अनुसार सदन चले. जब भी नियम के बाहर चले तो मेरा दायित्व है कि मैं अवगत कराऊं और इसलिए आपके पास आपका अधिकार है, आपके विवेक से आप निर्णय कर सकते हैं. यह निर्णय ही नहीं, बाकी निर्णय भी कर सकते हैं. अध्यक्ष महोदय के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं.''

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **सर्वश्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, (जयवर्द्धन सिंह एवं लखन घनघोरिया)** सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कालेजों को नियम विरूद्ध मान्यता दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य से ध्यानाकर्षण पर चर्चा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया.

11. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे द्वारा अपने भाषण के प्रारम्भ में किसी पत्र का प्रदर्शन किया गया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि- इस प्रकार से किसी पत्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. आसंदी से यह अनुरोध है कि माननीय सदस्य को इस संबंध में निर्देश दें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-''यह सही है कि बिना अनुमति के यह नहीं दिखाना चाहिए जो कागज दिखाया, वह उचित नहीं है''

श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आंसदी से अनुरोध किया गया कि- आपने सहृदयतापूर्वक ध्यानाकर्षण के मध्यम से चर्चा ली है यह प्रकरण न्याय निर्णयाधीन है क्योंकि सी.बी.आई. की जांच चल रही है, इसी कारण आपने यह भी आदेश दिया कि ध्यानाकर्षण पर भाषण नहीं होगा केवल कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है. किन्तु श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे द्वारा जो अभी किसी पर्चे का प्रदर्शन किया गया वह सदन की कार्यवाही में नहीं आना चाहिए और आगे भी माननीय सदस्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-''ठीक है, नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बात रखें'' ये जो आप दिखा रहे, जो विषय आप कह रहे है. यह ध्यानाकर्षण की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, जो आपने ध्यानाकर्षण दिया है, वह रिकार्ड में नहीं आएगा हेमंत जी विषयांतर नहीं करना है, आप विषय के अंदर रहें.

श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी के माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि- "अगर सदन में किसी के ऊपर भी हम आरोप लगाते हैं तो ये नियम प्रक्रिया है कि हम वह दस्तावेज पटल पर रखते हैं और अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही हम उन दस्तावेजों के बारे में अपनी बात सदन में कह सकते हैं. माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उस संबंध में उन्होंने कोई भी दस्तावेज पटल पर नहीं रखे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है माननीय सदस्य से और सदन से भी अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो आप सदन के पटल पर रखें. अध्यक्ष महोदय की अनुमति लें, उसके बाद आरोप लगाएं, जिससे कि उन दस्तावेज के आधार पर जिस सदस्य पर आरोप लगे हैं, वह अपना जवाब दे सके. ये कोई सदन की अच्छी परम्परा नहीं है

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "मेरा हेमंत जी और बाकी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं. आप सभी लोगों का आग्रह था कि इस पर चर्चा कराई जाए, इसलिए नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए हम अपनी अपनी बात रखें, जिससे समय सीमा पर ध्यानाकर्षण भी पूरा हो और जो बात हम रखना चाहते हैं उसके निराकरण के दिशा में भी हम कुछ बढ़ सके."

तदनंतर श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे द्वारा ध्यानाकर्षण पर कथन प्रारंभ किया गया जिसमें अनेक बार प्रश्नों के स्थान पर भाषण देने पर श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं डॉ.सीतासरन शर्मा द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं आसंदी द्वारा उन्हें भूमिका नहीं बनाकर केवल तत्थात्मक बिन्दु रखने की अनुमति दी गई.

12. अध्यक्षीय घोषणा.
सदन के समय में वृद्धि विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण क्रमांक-2 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

13. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

(2). श्री जयवर्द्धन सिंह, ने भी चर्चा में भाग लिया इस दौरान श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यान मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम और परंपराओं के संबंध में यह उल्लेख किया कि- ''हमारे यहां इस सदन की परम्परा रही है कि हम सदन के सदस्य के खिलाफ या कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, जो सदन के बाहर है उसके खिलाफ यदि आरोप लगाते हैं तो वह तो यहां पर अपना बचाव करने आएगा नहीं. कम से कम आपको आरोप लगाने के पहले अनुमति लेना चाहिए. क्या माननीय जयवर्द्धन जी ने इसकी अनुमति ली है?

पहले माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय को तथा संबंधित मंत्री महोदय को पर्याप्त समय पहले सूचना दें. लगातार माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं. आपने जो आरोप लगाए हैं क्या उसकी सूचना लिखित में आप तक या माननीय मंत्री जी तक पहुंची है ? जो आरोप लगा रहे थे वह आरोप पत्र दिया गया है क्या? क्या वह आरोप पत्र माननीय मंत्री जी के पास पहुंचा है ? तो क्या इस प्रकार के आरोप इस सदन के अंदर बिना नियम प्रक्रिया के तहत लगाये जा सकते हैं ? मेरा आंसदी से ऐसा निवेदन है कि ऐसे जो आरोप लगे हैं उन्हें विलोपित किया जाना चाहिए. आप बहुत ही गंभीर हैं और आपको दोनों सदनों का भी अनुभव है. आप वहां पर भी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और आप यहां पर भी विधान सभा के अध्यक्ष हैं इसीलिए आपसे अपेक्षा बहुत ज्यादा है कि यह सदन नियम और प्रक्रिया से चले, यदि यह नियम और प्रक्रिया से है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. फिर जैसा आपका आदेश है वह शिरोधार्य है''.

डॉ. सीतासरन शर्मा, द्वारा से आसंदी के माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि- ''मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम के अनुसार नियम 251 बोलते समय कोई सदस्य किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा यह नियम 251 में स्पष्ट है. नियम 252 के अनुसार किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक आरोप नहीं लगाया जाएगा. जब तक कि वाद-विवाद में भाग लेने के एक दिन पूर्व उस सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो. अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं. यह सारा कार्यवाही से विलोपित किया जाना चाहिए.''

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा से आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यान दिनांक 22 जुलाई 2002 के इस संदर्भ की ओर दिलाया गया कि- ''जब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी थे. उस समय यह बात हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष या अन्य आरोप प्रत्यारोपों के बारे में पूर्व सूचना को देकर आरोपों के बारे में तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि आरोपों को लगाये जाने के संबंध में मैंने विविध पक्षों को सुना. संसदीय व्यवस्था का सारथ यह है कि सदन में सदस्यगण बिना किसी भय या दबाव में अपनी बात को मुक्त कंठ से कहे. सर्वोच्च न्यायालय ने तेज कुमार बनाम राजीव, संजीव रेड्डी के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया कि सदन की कार्यवाही सदन के नियमों, सदस्यों के सद्भाव और अध्यक्ष के नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य कोई नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि यदि सदस्य की वाणी की स्वतंत्रता छीन ली गई तो उस तरह से किसी

भी लगाये गये जनहित के अनेक महत्वपूर्ण मामले सदन में कभी नहीं आ पायेंगे. आरोप के संबंध में यह स्पष्ट कहा गया है.''

माननीय सदस्यों के विचारोपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- ''मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मुझे लग रहा है कि बोलने वाले सदस्य कोई पहली बार नहीं आए हैं. हमेशा सदन में यह बात रही है कि जो व्यक्ति सदन के भीतर नहीं है उस पर हम लोग नाम लेकर आरोप न लगाएं क्योंकि वह अपना पक्ष रखने सदन में नहीं आ सकता है, दूसरी बात यह है कि जब हम किसी प्रकार की चर्चा करते हैं तो चर्चा में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए. यदि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दृष्टिगोचर होता है तो यह परम्परा भी एक तौर से उचित नहीं है. जयवर्द्धन जी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में पूरा करें.''

14. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य द्वारा भाषण पूर्ण किया गया.
निम्नलिखित सदस्यों ने भी ध्यानाकर्षण चर्चा में भाग लिया.

(3) सर्वश्री लखन घनघोरिया

अपराह्न 1.56 बजे सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.

(4) सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील,
(5) राजेन्द्र भारती,
(6) ओमकार सिंह मरकाम,
(7) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी,
(8) सर्वश्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर,
(9) डॉ.विक्रांत भूरिया,

अध्यक्ष महोदय द्वारा भोजनावकाश के अन्तराल हेतु अपराह्न 2.35 बजे सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 3.41 बजे पुन: समवेत की गई.

अपराह्न 3.41 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

15. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(10) सर्वश्री फुन्देलाल सिंह मार्को,
(11) मधु भाऊ भगत,
(12) राजन मण्डलोई,
(13) पंकज उपाध्याय,
(14) प्रताप ग्रेवाल,
(15) दिनेश जैन ''बोस''
(16) श्रीमती सेना महेश पटेल,
(17) सर्वश्री फूलसिंह बरैया,
(18) भंवरसिंह शेखावत,
(19) नारायण सिंह पट्टा,
(20) उमंग सिंघार,
(21) श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) ने चर्चा का उत्तर दिया.

16. अध्यक्षीय घोषणा.
सदन के समय में वृद्धि विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

17. गर्भ गृह में प्रवेश एवं नारेबाजी.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल काँग्रेस के अनेक सदस्यगण द्वारा एक सर्वदलीय समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भ गृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की गई.

18. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 विजयपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री रामनिवास रावत एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-145 बासौदा से निर्वाचित सदस्य श्री हरिसिंह रघुवंशी को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

19. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में उल्लेखित माननीय सदस्यों की याचिकाएँ प्रस्तुत हुई मानी जाएँगी.

(1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(2) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(3) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(4) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(7) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(8) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(9) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(10) श्री केदार चिड़ाभाई (जिला-खरगोन)
(11) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-विदिशा)
(12) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(13) श्री रामनिवास शाह (जिला-सिंगरौली)
(14) श्री अरुण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(15) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(16) श्री केशव देसाई (जिला-भोपाल)
(17) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)

20. अध्यक्षीय घोषणा.
शासकीय विधि विषयक कार्य.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि-

आज की कार्यसूची के पद - 6 "शासकीय विधि विषयक कार्य" के अन्तर्गत उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, स्थायी आदेश की कंडिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है।"

21. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2-विजयपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री रामनिवास रावत एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145-बासौदा से निर्वाचित सदस्य, श्री हरिसिंह रघुवंशी को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकत हुआ
खण्ड **2** से **4** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

23. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

24. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकत हुआ
खण्ड **2** तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 12 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 2 जुलाई, 2024